


11/2/22 वाद

01.4.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वकील अधिवक्ता को पूर्व के उपस्थित होने हेतु अन्तिम धक्का दिया गया बावजूद श्लेष उपस्थित नहीं हुए नहीं समान प्रोसेस, संशोधित अन्वय प्रस्तुत किए गए हैं। वकील अधिवक्ता को पूर्व के भी कई अप्पर डिस्ट्रिक्ट बावजूद वकील अधिवक्ता द्वारा संशोधित अन्वय एवं समान पेश नहीं किए गए हैं। न्यायालय द्वारा क्लक-क्लक कर तीन बार आवाज लगावाई गई। बावजूद श्लेष कोई उपस्थित नहीं हुआ नहीं न्यायालय समय समाप्त तक कोई उपस्थित हुआ है। जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा वाद नहीं चलाना चाहता है।

अतः वादी को वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम एजरी-अदम फ़ैरवी के अंतर्गत किया जाता है। निर्णय करे उजलास/पुनाया गया।

प्रकरण फ़ैल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(रिया डबी)

DAS

उपस्थित अधिकारी  
मिथा, 01/04/24  
